

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प डायलाना कलां

—:आदेश:—

दावा बाबत राज0 भू0 राज0 अधिनियम1956 धारा 136
मुकदमा नम्बर :-348/16

निर्णय दिनांक :- 18/05/2016

प्रार्थी फतेहसिंह पुत्र हीरसिंह कौम राजपुत नि.गुडा देवडान मेडतियान के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी डायलाना कलां भू.अ.नि डायलाना कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देसूरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डायलाना खुर्द तहसील देसूरी जिला.पाली की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 में खाता संख्या 204 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

प्रार्थी के पिता का नाम ग्राम डायलाना खुर्द के गत खं.न. 301 ,295 ,301/1 ,295/1 ,295/2 ,301/1 में हीरसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज था। मिसल बदोबस्त संवत् 2041-2060 के खाता संख्या 169 में हीरसिंह पुत्र खूमसिंह एवं जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 के खाता संख्या 182 में हमीरसिंह पुत्र खूमसिंह दर्ज हो गया जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पटवारी डायलाना कलां भू.अ.नि डायलाना कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देसूरी की अनुशंसा के आधार पर मौजा ग्राम डायलाना खुर्द की जमाबंदी संवत् 2069-2072 के खाता संख्या 204 में अशुद्ध नाम हमीरसिंह पुत्र खूमसिंह कौम राजपुत के स्थान पर शुद्ध नाम हीरसिंह पुत्र रूपसिंह कौम राजपुत दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।



(पर्वतसिंह चुण्डावत)
(पर्वत सिंह चुण्डावत)
प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, देसूरी

क्रमांक /शिविर/2016/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
प्रभारी अधिकारी पीठासीन अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड लोक अदालत देसूरी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर